

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारतसरकार

वित्तमंत्रालय

राजस्वविभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 34/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 07.08.2020

का.आ. (ई) माननीय सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार, जैसा कि निम्न तालिका के स्तम्भ (5) में उल्लेखित है तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना एतद्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित नोटिसी को तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निर्णयन हेतु समान न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्रं. सं.	कारण नोटिस दिनांक	बताओ सं. और	कारण किसको गया	बताओ निर्गमित	नोटिस किया	कारण नोटिस द्वारा किया गया	बताओ किसके निर्गमित	माननीय उत्पाद अपीलीय आदेश सं	सीमा एवं ट्रिब्यूनल और दिनांक	शुल्क सेवा कर का
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
1.	DRI/MZU/G/Inv-02/2008-2009 दिनांक 29.08.2009.		मै ग्रेफाइट इंडिया लिं, बख्तावर, 2रा तल, नरीमन पॉइंट, मुंबई.			अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई		कस्टम अपील सं. 2012 की 667 मे A/86745/2019 दिनांक 17.09.2019		

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-21/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दूसरा तल, न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई.
2. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के नोटिसी को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी को भेज दें।